कार्यालय, जिला परिषद, गया।

अल्पकालीन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मोहड़ा अचंल के क्षेत्रान्तर्गत सैरातों की वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लिएं बन्दोबस्ती हेतु दिनांक 11-01-2021 समय 1:PM बजे दिन में जिला परिषद, गया के कार्यलय के सभाकक्ष में आम डाक के द्वारा की जायेगी। उक्त तिथि को किसी कारणवश डाक सफल नहीं होने की स्थिति में डाक की दुसरी एवं तीसरी तिथि क्रमशः दिनांक 12-01-2021 एवं दिनांक 13-01-2021 को निर्धारित समय एवं स्थान पर होगी।

क्रम संख्या	सैरात का विवरण	सुरक्षित जमा राशि	अग्रधन की राशि
1	2	3	4
1	तपोवन मलमास मेला	1,29,030.00	25,850.00
2	तपोवन मकर संक्रांति मेला	3,11,075.00	62,250.00

1. प्रत्येक डाकवक्ता को डाक में भाग लेने हेतु अपना परिचय पत्र (आधर कार्ड) एवं पास्पोट साईज का फोटो आवेदन के साथ जमा करना होगा।
2. जिस डाकवक्ता एवं उसके परिवार के सदस्य के पास जिला परिषद, गया का पूर्व का बकाया होगा, उन्हे डाक में भाग लेने का अधिकार नही होगा। इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र जिला परिषद, गया से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
3. डाक में भाग लेने के पूर्व उस स्थान हेतु निर्धारित अग्रधन की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से **"उप विकास आयुक्त –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, गया"** के पद नाम से बनाकर कार्यालय में डाक की तिथि को 12:00 बजे अप्राहन के पूर्व जमा करना होगा।
4. सफल डाकवक्ता को स्वीकृत डाक की बन्दोबस्त राशि डाक के दिन हीं कार्यालय के कार्यावधि में जमा करना होगा। राशि जमा करने का साक्ष्य एन0 आर0 अथवा चेक के रूप में देना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर जमा की गई अग्रधन की राशि जप्त करते हुए द्वितीय उच्चतम डाकवक्ता को अवसर दिया जायेगा। यह नियम द्वितीय एवं तृतिय डाकवक्ता पर भी लागु होगा।
5. सफल डाकवक्ता को जिला परिषद, गया के द्वारा निर्धारित दर से सैरातों से वसूली की जायेगी। आमडाक के सवोच्च बोली के आधर पर सफल डाकवक्ता से बोली गई सर्वोच्च राशि का अतिरिक्त 5% निबंधन शुल्क एवं 5% मुद्रांक शुल्क जोड़ कर लिया जायेगा।
6. अधोहस्ताक्षरी को डाक की सूचना वापस लेने, संशोधित करने, डाक की तिथि पुनः निर्धारित करने एवं किसी भी डाक को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार सूरक्षित रहेगा।

ह0/–
उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, गया।

ज्ञापांक......20............./जि०प० गया दिनांक 08 वीं जनवरी, 2021

प्रतिलिपि :–आयुक्त, मगध प्रमंण्डल गया की सेवा में सादर सूचनार्थ।
प्रतिलिपि :–जिला पदाधिकारी, गया की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :–वरीय पुलिस अधीक्षक, गया की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :–अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, जिला परिषद, गया को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–अनुमंडल पदाधिकारी, नीमचक बथानी को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–जिला अभियंता, जिला परिषद, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त निर्धारित तीनों तिथियों को डाक में उपस्थित रह कर डाक में सहयोग करेंगे।
प्रतिलिपि :–थाना अध्यक्ष, सिविल लाईन्स, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–अंचल अधिकारी, मोहड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस सूचना को अपने अंचल कार्यालय में अवस्थित सूचना पट्ट पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे।
प्रतिलिपि :–D.I.O., NIC, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस सूचना को जिला के वेबसाईट पर प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

8/1/21

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, गया।